1-4-2021 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष के तर्क पर श्रवण, बहस श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया है कि उपखण्ड अधिकारी की निगरानी रिपोर्ट दिनांक 25.06.2017 पर कोई सीमांकन आपत्ति नहीं थी। उक्त रिपोर्ट से पत्रावली प्रस्तुत प्रा० प० स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत प्रा० प० अ० R.L.R.A. 1956 की धारा 110, 128 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम हासलसर प० ह० हासलसर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 619, 1439/618 की सीमाओं पर फर्द सीमांकन दिनांक 25.06.2017 के अनुसार सिमाबिही अर्थात पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उपपुरवारी नियमानुसार शुल्क जमा कर तथा नाप जोख कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 1-4-2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल हुआ होने पर वापस से बस्ता बंद व अलमारी दफ्तर की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 11:09:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner